

एमएमटीसी लिमिटेड : कारपोरेट कार्यालय
कार्मिक प्रभाग(आईआर अनुभाग)

संख्या: 181/आईआर/का.का./2011

दिनांक : 26 सितम्बर 2011

परिपत्र संख्या 09/2011

विषय: सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनादाता की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प (पीआईडीपीआई)

रिट याचिका 539/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भारत सरकार की दिनांक 21 अप्रैल, 2004 की राजपत्र अधिसूचना सं। 371/12/202-एवीडी -3 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को चुने गई एजेंसी के रूप में केन्द्रीय सरकार के किसी भी केंद्रीय अधिनियम के तहत या किसी भी निगम द्वारा स्थापित, सरकार कंपनियों, समाज या स्थानीय अधिकारियों का स्वामित्व या केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रग सरकार के कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायतों या खुलासा करने के लिए अधिकृत किया है।

2. सरकार के पूर्वोक्त समाधान के अनुसार भारत का सीवीसी, 17 मई, 2004 को अपने कार्यालय आदेश सं.3/5/2004 के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर (पीआईडीपीआई) की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रचार दिया गया है।

एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी के नाते एमएमटीसी पीआईडीपीआई योजना की समीक्षा के तहत आता है। तदनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और सीवीसी आदेश द्वारा जारी उपरोक्त गजट अधिसूचना की एक प्रतिलिपि, सभी संबंधित मामलों की जानकारी के लिए इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

4. गजट अधिसूचना और पीआईडीपीआई योजना पर सीवीसी आदेश की एक प्रति भी एमएमटीसी वेबसाइट और एमएमटीसी इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई है।

5. सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे इस परिपत्र की सामग्री को अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के नोटिस में लिए लाएं।

(वी के पांडे)

महाप्रबंधक(का)

प्रति :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के का0का0सचिव/सभी निदेशकों के निजी सचिव/मु0स0अ0
2. सभी मु0म0प्र0/म0प्र0/उप म0प्र0 -कारपोरेट कार्यालय
3. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी
4. क्षे.का. के वित्त प्रभारी
5. नोटिस बोर्ड
6. कार्यालय आदेश फाईल
7. महासचिव एमएमटीसी अधिकारी महासंघ/महासचिव एमएमटीसी कर्मचारी महासंघ भुवनेश्वर, नई दिल्ली/, एससी/एसटी कल्याण संघ, चैन्न्ई । महासचिव एमएमटीसी कर्मचारी संघ का0का0, नई दिल्ली
8. म0प्र0(सिस्टम)- उपरोक्त परिपत्र को एमएमटीसी इंटरनेट पर आईआर अनुभाग, कार्मिक प्रभाग के अंतर्गत प्रदर्शित करें ।